न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–42/2021 दायर दिनांक: 12.5.2021

GCMS NO:- 2021/83 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. फूला पत्नी भंवरलाल जाति बंजारा नि0 बंजारों की झोपडियां ताकला।
2. किसकन्दा पत्नी महेन्द्र जाति बंजारा नि0 बंजारों की झोपडिया ताकला।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम ताकला प0म0 जजावर मे खसरा नम्बर 1217/342 एवं 1218/343 कुल किता 2 कुल रकबा 0.8090 हैक्टयर स्थित है जिसकी खातेदार प्रार्थीया संख्या 1 फूला है तथा ग्राम ताकला के खसरा नम्बर 1221/342 रकबा 0.3236 हैक्टयर स्थित है जिसकी खातेदार प्रार्थीया संख्या 2 किसकन्दा है। यह कि उक्त भूमियों को लेकर आस पडोस के भूमि वाले भूमि की सीमाओं को लेकर रोज विवाद करते है तथा लडाई झगडा करते है। दिनांक 2.5.2021 को भी प्रार्थीगण से विवाद करने को आ गये। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि उक्त प्रकरण को चलते लगभग 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है तथा यह एक समरी ट्रायल है एवं तहसीलदार नैनवॉ की आदिनांक तक रिपोर्ट अप्राप्त है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम ताकला प0म0 जजावर मे स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1217/342, 1218/343, 1221/342 पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ